मुख्यमंत्री ने किसानों, भूमिहीन मजदूरों, पशुपालकों और समूह की महिलाओं को दी 1804.50 करोड़ रूपए की सौगात

- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 26.68 लाख किसानों को पहली किश्त के रूप में मिले 1720.11 करोड़ रुपए
- किसानों को चार किश्तों में मिलेंगे लगभग 6900 करोड़ रुपए

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को 1804 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने न्याय योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसानों और समाज के वंचित तबकों को न्याय दिलाने के लिए बीते तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी, सी-मार्ट की स्थापना जैसी अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिये व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। हम अपनी हर योजना का लगातार विस्तार कर रहे हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हमने विस्तार करते हुए इसमें खरीफ की प्रमुख फसलों, उद्यानिकी फसलों एवं कोदो, कुटकी, रागी सहित वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत इस वर्ष प्रथम किश्त के रूप में 1720 करोड़ 11 लाख रूपए की सब्सिडी दी गई है। इस साल राज्य के किसानों को लगभग 6900 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त के रूप में 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार रुपए की राशि जारी की और कहा कि योजना के तहत अब वार्षिक सहायता राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए कर दी गई है। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 13 करोड़ 31 लाख रुपए का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को किया। इसमें से 11 करोड़ 14 लाख रुपए गौठान समितियों और महिला समूहों को तथा 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान संग्राहकों को अंतरित किया गया। अब तक स्व-सहायता समूहों तथा गौठान समितियों को कुल 110 करोड़ रुपए का लाभांश एवं भुगतान दिया जा चुका है। इसी तरह गोबर खरीदी के लिए हितग्राहियों को कुल 140.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनहितैषी नीतियों के चलते सभी वर्गों में खुशहाली और बदलाव दिखाई दे रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते तीन सालों में लगभग एक लाख करोड़ रूपए किसानों, भूमिहीन मजदूरों, वनोपज संग्राहकों और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में डाले हैं। कार्यक्रम के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में जानकारी दी।

महत्वपूर्ण एवं खास

शॉर्ट सर्किट के वजह से बैंक में लगी आग, बड़ा हादसा टला

भिलाई (आरएनएस)। भिलाई शहर के नेहरू नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की नंदिनी रोड शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुंआ उठता देख मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने तुरंत सुपेला पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस ने तत्काल फायर ब्रिगेड वाहन बुलाया जिससे समय रहते आग को बुझा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। सुपेला पुलिस ने बताया कि सुबह उन्हे नेहरू नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में आग लगने की सूचना मिली थी। घटना की जानकारी लेने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने दो घंटे तक फोम व पानी की मदद से आग पर काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, जिससे बैंक के अंदर की केबल वायर और एसी जल गई है। इस आगजनी में बैंक का कोई भी दस्तावेज नहीं जला, सब सुरक्षित है। अगर यह आग फाइल वीग और आसपास तक पहुंचती तो बैंक का बड़ा नुकसान हो सकता था। यह आगजनी आज सुबह 5 बजे हुई। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उस समय आग बढ़ना शुरू हुई तो बैंक के अंदर से काफी धुंआ निकल रहा था। डायल 112 और सुपेला पुलिस को फोन कर समय पर सूचना देने से एक बड़ा हादसा टल गया है।

मकान में लगी आग, कागजात, जेवर और नकदी खाक

महासमुंद (आरएनएस)। यहां गंजपारा स्थित एक मकान में बुधवार-गुरुवार दरम्यानी रात आग लग गई। जिससे घर के अंदर रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस के अनुसार गंजपारा निवासी बंशीलाल साहू ने बताया कि वह घर में अकेले रहता है। उसके दो बेटे ओडिशा में रहते हैं। बुधवार को विवाह कार्यक्रम में भलेसर रोड स्थित स्कूल में गया था। वहां से जब साढ़े 12 बजे लौटा तो देखा कि घर में आग लगी थी और मोहल्ले के लोग आग बुझा रहे थे। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पीड़ित ने बताया कि आग लगने के कारण पेटी में रखे कागजात, सोने चांदी के जेवरात, नगदी 70 हजार रुपए सहित कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए।

बाइक सवार दो घायल, कार क्षतिग्रस्त

महासमुंद (आरएनएस)। महासमुंद पिथौरा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-53 ग्राम डोंगरीपाली के पास ट्रैक्टर में टकरा जाने से बाइक में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बाइक सवार पिलवापाली की ओर जा रहे थे। ट्रैक्टर भी पिलवापाली की ओर जा रहा था। दोनों डोंगरीपाली चौक के पास पहुंचे तभी हादसा हुआ। हादसे के बाद बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, इधर, ट्रैक्टर का चालक मौके पर से फरार हो गया। सुबह हुई एक अन्य घटना में कार मुढ़ीपार चौक के पास पहुंची थी कि रायपुर की ओर जा रहा कंटेनर ने कार को ठोकर मार दिया। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन हादसे में कार सवार बाल-बाल बच गया।

करंट से मौत, डेढ़ माह बाद जुर्म दर्ज

महासमुंद (आरएनएस)। खल्लारी के फुलझर खार स्थित खेत में करंट से हुई शंकर खडिय़ा के मौत के मामले में पुलिस ने करीब डेढ़ माह जांच पश्चात अज्ञात के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। ज्ञात हो कि विगत 4 अप्रैल को फुलझर खार में शत्रुघ्न चंद्राकर के खेत में जंगली जानवरों के शिकार के लिए अज्ञात व्यक्ति द्वारा सेंट्रिंग तार बिछाकर 11 केव्ही फीडर से तार हुक कर करंट का जाल बिछाया था। जिसकी चपेट में गांव का शंकर खडिय़ा आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले में जांच के बाद अज्ञात के खिलाफ धारा 304 ए और 135 विद्युत अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया है।

ससुर ने बहू से की मारपीट, जुर्म दर्ज

महासमुंद (आरएनएस)। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला से उसके ससुर ने गाली गलौज कर मारपीट की। शीला कुम्हार ने पुलिस को बताया कि ग्राम बांझापाली में वह पति एवं सास ससुर के साथ रहती हैं। बीते 17 मई 2021 को गांव में पागल कुत्ता के काटने से ईलाज के दौरान उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसी बात को लेकर उसका ससुर अश्लील गाली गलौज कर हमेशा प्रताड़ित करता है। बुधवार को उसके ससुर ने गाली गलौज कर ईंट से मारकर उसे चोट पहुंचाया।

छत्तीसगढ़ सरकार केन्द्र की तुलना में राज्य के किसानों को दे रही 5 से 6 गुना अधिक मदद

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किसानों को हर साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक मदद दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को जारी की गई पहली किश्त की राशि ही छत्तीसगढ़ के किसानों को सालभर में मिलने वाली प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 2100 रूपए से अधिक है।

छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 22 लाख 57 हजार 882 किसानों को आज 1720 करोड़ 11 लाख रूपए की आदान सहायता राशि जारी की गई, जो औसत रूप से प्रति किसान 7518 रूपए हैं, जबकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत राज्य के किसानों को इस साल औसत रूप से मात्र 5403 रूपए ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिली प्रथम किश्त की राशि ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत सालभर में मिलने वाली औसत राशि से 2115 रूपए अधिक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इस साल किसानों को लगभग 6900 करोड़ रूपए का भुगतान का आदान सहायता के रूप में होगा। इस सम्पूर्ण राशि से यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि से तुलना की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति किसान औसतन 5 से 6 गुना अधिक राशि दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति किसान औसत रूप से 30,526 रूपए की आदान सहायता दी गई, जबकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में राज्य के किसानों को औसत रूप से 4882 रूपए ही मिले। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई राशि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिली राशि की यदि तुलना की जाए तो यह लगभग 6 गुना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के 18 लाख 43 हजार 370 किसानों को 5627 करोड़ रूपए की आदान सहायता दी गई थी। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य के 20 लाख 59 हजार 68 किसानों को 5553 करोड़ रूपए की आदान सहायता दी गई, जो औसत रूप से प्रति किसान 26,969 रूपए है, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य में प्रति किसान औसत रूप से प्राप्त 5337 रूपए की राशि से लगभग 5 गुना अधिक है।

तेज रफ्तार हाइवा ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो सवार 4 की मौत

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर-तखतपुर मेन रोड पर मोछ के पास तेज रफ्तार हाइवा ने ऑटो को टक्कर मार दी. हादसे में ऑटो में सवार चार लोगों की मौत हो गई, वहीं घटना के बाद आरोपी चालक हाइवा छोडक़र फरार हो गया है. तखतपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, बीते देर रात मालवाहक ऑटो में सवार होकर चार लोग तखतपुर की ओर जा रहे थे। उसी समय मेन रोड में तेज रफ्तार हाइवा आ रही थी। घटना तखतपुर के मोछ मोड़ के पास की है। तेज रफ्तार अनियंत्रित हाइवा ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो सवार 2 लोग उछल कर सडक़ से दूर जा गिरे। वहीं चालक और बाजू में बैठा फऱहदा-जरहागांव में रहने वाला महेश कुमार साहू ऑटो में फंसा रहा। बताया जा रहा है कि महेश साहू पूर्व सांसद लखन लाल साहू का भतीजा है। ऑटो में फंसे ड्राइवर व महेश को गैस कटर की मदद से निकाला गया। हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे मे तीनती लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनके शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जबकि, गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक को कड़ी मशकत के बाद बाहर निकालाा गया।

आतंकवाद विरोधी दिवस: अधिकारियों व कर्मचारियों ने ली आतंकवाद व हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ

कोरबा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई शनिवार अवकाश होने के कारण 20 मई को प्रात: 11 बजे कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर द्वय अवध सिंह राणा एवं विजेन्द्र पाटले ने जिला कलेक्टोरेट के प्रांगण में अधिकारियों-कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने तथा विघ्टनकारी शक्तियों से लडऩे की शपथ दिलाई। आतंकवाद विरोधी दिवस पर अधिकारियों-कर्मचारियों ने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखने, सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने, मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लडऩे की शपथ ली। इस अवसर पर कलेक्टोरेट परिसर में स्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बंद कराया ओबी का काम

कोरबा। एसईसीएल गेवरा खदान में ओवरबर्डन का काम कर रही ठेका कंपनी हरेराम गोदरा में भूविस्थापितों एवं स्थानीय बेरोजगार युवकों व मजदूरों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता मुरली महंत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने खदान पहुंचकर ओबी का काम बंद करा दिया। जिससे एसईसीएल प्रबंधन तथा ठेका कंपनी में हडक़ंप मच गया। बाद में सूचना दिए जाने पर एसईसीएल व ठेका कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आगामी 20 जून तक ठेका कंपनी भूविस्थापितों एवं मजदूरों को काम पर रखने उचित कदम उठाएगी। एसईसीएल प्रबंधन व ठेका कंपनी द्वारा दिए गए आश्वासन पर ग्रामीण माने और अपना आंदोलन समाप्त किया।

चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता मुरली महंत ने साफ शब्दों में कहा कि ठेका कंपनी को अपने काम के लिए भूविस्थापितों व स्थानीय लोगों को रखना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के आश्वासन पर वे अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं। लेकिन यदि उनकी मांगें 20 जून तक पूरी नहीं हुई तो पुन: आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी ठेका कंपनी के अधिकारियों की होगी। इससे पहले 20 मई को सुबह भूविस्थापित व क्षेत्र के ग्रामीण छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरली महंत के नेतृत्व में एकत्रित हुए और गोदरा कंपनी के कार्यालय व एसईसीएल प्रबंधन के समक्ष प्रदर्शन करने के बाद खदान के भीतर जाकर ओबी का काम बंद करवा दिया। ग्रामीणों के विरोध के चलते कामकाज पूरी तरह ठप रहा। ग्रामीणों के बड़ी संख्या में खदान पहुंचने और ओबी का काम बंद कराए जाने की सूचना मिलने पर एसईसीएल के सुरक्षा जवान भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलन में मुरली महंत के अलावा कुसमुंडा ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी विश्वकर्मा, फागुन सिंह कंवर, मनोज पाटले, सुनील महंत, अनिल महंत, अनिता महंत, उषा महंत, कविता पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे।

स्व.राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों के खाते में अंतरण हुआ पैसा

कोरबा। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम से राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ीं समूह की महिलाओं को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए राशि का सीधे उनके बैंक खातों में अंतरण किया।

यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ आयोजित हुआ। कोरबा में भी कार्यक्रम आयोजित कर राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की पहली किश्त की राशि प्रदेश के किसानो के खाते में अंतरित की गई। विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली रूप से जुड़े। जिला स्तरीय कार्यक्रम कोरबा शहर के टीपी नगर में स्थित राजीव गांधी आडिटोरियम में 11.30 बजे से आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं वाणिज्यिक कर पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरूषोत्तम कंवर, पाली.तानाखार क्षेत्र के विधायक मोहित राम केरकेट्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर, उपाध्यक्ष जिला पंचायत रीना जायसवाल,महापौर नगर निगम कोरबा राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्यामसुंदर सोनी, सदस्य कृषक कल्याण परिषद अमन पटेल सहित जिले के जनप्रतिनिधि, किसान एवं गणमान्य नागरिकगण उपस्थित रहे। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किस्त की राशि अंतरित की गई। जिले के किसानों को उनकी फसल की उपज का उचित मूल्य देने तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए तथा फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एक्शन में कलेक्टर: एसईसीएल के कोयला खदानों का किया आकस्मिक निरीक्षण

- कोयला चोरी रोकने पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने, फेंसिंग और सीसीटीवी कैमरा लगाने के भी दिये निर्देश

कोरबा। कलेक्टर रानू साहू ने एसईसीएल क्षेत्र गेवरा और दीपका के कोयला खदानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर साहू ने पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की मौजूदगी में कोयला खदानों में कोयला चोरी की शिकायत और कोयला चोरी के संबंध में वायरल विडियो के जांच के संदर्भ में कोयला खदानो का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने एसईसीएल और सीआईएसएफ के अधिकारियों से खदानों में होने वाले अवैध कोयला चोरी और अवैध प्रवेश-निकास द्वारो के बारे में जानकारी ली। उन्होने खदान क्षेत्र के अंतर्गत नरईबोध, भठोरा, रलिया और अमगांव में जाकर विभिन्न एन्ट्री और एग्जिट पॉइन्टस का अवलोकन किया। इन क्षेत्रों में कोयला चोरी रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और घेराबंदी नही पाया। प्राथमिक तौर पर यह एसईसीएल और सीआईएसएफ की लापरवाही है। सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेंचिंग नही पाये जाने पर कलेक्टर साहू ने एसईसीएल और सीआईएसएफ के अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जताई। कलेक्टर साहू ने मौके पर ही जेसीबी के माध्यम से अवैध रास्तो पर ट्रेंचिंग करवाने के निर्देश दिये। कलेक्टर की मौजूदगी मे ही ट्रेंचिंग का काम शुरू किया गया। कलेक्टर साहू ने अवैध कोयला उत्खनन और चोरी रोकने के लिए चिन्हांकित जगहों पर चेक पोस्ट बनाकर एसआई रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश सीआईएसएफ के अधिकारियों को दिये। साथ ही ऐसे जगहो पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर निगरानी करने के निर्देश दिये। इस दौरान एसईसीएल, सीआईएसएफ, खनिज विभाग के अधिकारीगण तथा एसडीएम कटघोरा कौशल प्रसाद तेंदुलकर मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर साहू ने फरवरी में सीआईएसएफ, एसईसीएल के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर कोयला खदानों मे कोयला चोरी रोकने आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम और खदानो की घेराबंदी करने के निर्देश दिये थे। साथ ही चेकपोस्ट बनाकर कोयला चोरी को रोकने सतत निगरानी रखने के भी निर्देश दिये थे। बैठक में कलेक्टर साहू ने कहा था कि खदानों से कोयला चोरी रोकने की पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा में लगी सी आई एस एफ की है। सी आई एस एफ खदानों की सुरक्षा के लिए तैनात है। सी आई एस एफ के पास पर्याप्त सैनिक बल भी है। ऐसे में खदानों से कोयला चोरी को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सुरक्षा एजेंसी की है। एसईसीएल और सीआईएसएफ द्वारा उक्त निर्देशो का पालन ठीक ढंग से नही किया गया। कलेक्टर साहू ने प्रबंधन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरते जाने के कारण प्राप्त हो रही कोयला चोरी की शिकायतो पर संज्ञान लेते हुए आज कोयला खदानो का आकस्मिक निरीक्षण किया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी टाकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, अदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU